आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 143/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा एन. आई. ए. जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. प्रियंका शिक्षा समिति,
   पताः जयपुर रोड़, हिंगोनिया (जोबनेर), तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर।
2. श्री नारायण लाल चौधरी पुत्र श्री कन्हैया लाल चौधरी,
   पताः 353, बीड़ की ढ़ाणी, पिंकसिटी स्कूल के पास, हिंगोनिया, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर।
3. श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री हनुमान लाल,
   पताः— 4, हनुमान रोपट की ढ़ाणी, शिवजी मंदिर के पास, गांव टिबरिया, पोस्ट बरसीनागा, फुलेरा, जयपुर
4. श्री राजपाल हरितवाल पुत्र श्री सागर मल हरितवाल,
   पताः ग्राम कापरियावास, पोस्ट दुर्जनियावास, झोटवाड़ा, जयपुर।
5. श्री सुमित्रा चौधरी पत्नी श्री मुकेश चौधरी,
   पताः बीड़ की ढ़ाणी, ग्राम मुकाम पोस्ट हिंगोनिया, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :—

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 01.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.03.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी प्रियंका शिक्षा समिति के स्वामित्व की खसरा संख्या 757/415 एक बीघा में से संपरिवर्तित वाणिज्यिक संपत्ति, ग्राम हिंगोनिया, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर, क्षेत्रफल 2403 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 75,91,159/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 75,91,159/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 42,74,940/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.05.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी प्रियंका शिक्षा समिति के स्वामित्व की बंधक खसरा संख्या 757/415 एक बीघा में से संपरिवर्तित वाणिज्यिक संपत्ति, ग्राम हिंगोनिया, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर, क्षेत्रफल 2403 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(ग्रामीण) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner